

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा  
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)  
पीठसीन अधिकारी :- शकुंतला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

रमेश कुमार पुत्र शेरमिह जाहि  
जाहि निवासी खनवाना  
दावा बाबत :- 88 RAS  
मुकदमा नम्बर :- 10/2  
निर्णय दिनांक :- 10.11.21


बनाम

1. शेरमिह पुत्र आमराम
2. रामीव कुमार पुत्र शेरमिह
3. पन्डूइता पुत्री शेरमिह
4. ओंभीणी शाखा नेहरना
5. राजस्व प्रभार जसि रक्षीतकर भाव्य

वादी की ओर से वकील श्रवण महारण की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्रवण महारण - I की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.11.21 को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि शेरी मौजा चक्र 2 खरीदार के खारासं 101/100 के मुंनं 41 किला नं 1, 7, 8/2, 9/2, 10/2, कुल 2.431 हे० मुंनं 42 के किला नं 17, 18, 23, 24 की कुल 1.012 एम प्रभार कुल 3.503 हे० व चक्र 1 खरीदार के खारा सं 85/79 के मुंनं 48 के किला नं 2, 9, 12, 19, 21, 22 की कुल 1.518 हे० भूमि प्रतिवारी स० शेरमिह के नाम दर्ज है में नन्दा प्रतिवारी स० 1 की खजाप वादी तथा प्रति स० व 2 अद्विजा वाण के खारेख डारखत घोषित किए जाते हैं, प्रतिवारी स० 3 ने अपना एक हिस्सा वादी व प्रति स० 1-2 के पत्र में लपटा कर शुन्य कर सिपाई, एसिए लपटा किए गये हिस्से पर वंजीयन शुल्क प्रशा करने व धर्म भूमि बैंक के रदन हे तो रदन मुक्त होने पर उपरोक्त मुसल राजस्व रिमांड में दर्ज कर रिमांड उरुन करें।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्वा डिक्री आज दिनांक 10.11.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
शकुंतला चौधरी (RAS)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़